नापाक गठजोड़
भारत के तीर्थ स्थलों पर छोटे बच्चों का यौन शोषण :
आंध्र प्रदेश, केरल, एवं उड़ीसा
2009

शोध के निष्कर्ष ने बताते हैं कि भारत के पर्यटन गंतव्यों में छोटे लड़कों का यौन शोषण एक बढ़ती हुई समस्या है।

भारत के पर्यटन में बढ़ता बच्चों का यौन शोषण

पर्यटन विश्व का सबसे तेजी से बढ़ने वाला उद्योग है और इसने विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में धीरे–धीरे महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू कर दिया है। विकासशील दुनिया के अन्य हिस्सों की ही तरह भारत में भी पर्यटन को स्थानीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास में तेजी लाने के माध्यम के तौर पर देखा और प्रोत्साहित किया जाता है। भारत में, तीर्थ केन्द्र मुख्यतः देश के ही आगंतुकों के साथ साथ प्रवासी और विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण के केन्द्र होते हैं।

पर्यटकों द्वारा बच्चों के यौन शोषण के बारे में भारत में लोगों की जागरूकता बढ़ रही है। यौन शोषण के जो ज्यादातर मामले सुनने को आते हें उनमें पुरूष लिप्त होते हैं। इस तरह ऐसा माना जाता है कि उनके शिकार महिलाएं या फिर लड़कियां होती हैं। जबकि कई बार शिकार छोटे लड़के भी होते हैं। भारतीय समाज में समलैंगिकता के बारे में दोहरा मापदंड है और इसे अब भी अपराध माना जाता है, जिससे समस्या की व्यापकता नहीं दिखती है।

इक्वेशंस ने अपने स्थानीय नेटवर्क सहयोगियों के साथ मिलकर सन 2008 में एक अध्ययन किया था, जिसका उद्देश्य कुछ चुने हुए तीर्थ स्थलों में बच्चों के यौन शोषण की व्यापकता और स्वभाव के बारे में पता लगाना था। इसे भारत के तीन महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों तिरुपति (आंध्र प्रदेश), पुरी (उड़ीसा) एवं गुरूवायुर (केरल) में केस स्टडीज के माध्यम से अध्ययन किया गया। अध्ययन ने उन कारकों की भी पहचान की जो कि लड़कों की वेश्यावृत्ति में लिप्त हैं या उन्हें मदद करते हैं। शोध प्रक्रियाओं में साक्षात्कार, बच्चों, सरकारी अधिकारियों, समुदाय सदस्यों, शिक्षकों एवं गैर सरकारी संगठनों आदि फोकस समूहों से चर्चाएं शामिल हैं। अध्ययन में इन बच्चों के मामलों, परिस्थितियों, स्थानों एवं प्रोफाइल के बारे में और उस सन्दर्भ के बारे में पता लगाकर दस्तावेजीकरण किया गया जिसकी वजह से यौन उत्पीड़न बिना रोक–टोक के जारी है। इन केस स्टडीज के माध्यम से बच्चों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं आर्थिक परिस्थितियों पर पड़ने वाले असरों का भी दस्तावेजीकरण किया गया।

प्रकरण : तिरुपति (आंध्र प्रदेश)

आंध्र प्रदेश में तिरुपति तिरुमाला हिल्स में भगवान श्री वेंकेटेश्वर के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थल दुनिया भर में सबसे ज्यादा आगंतुक पहुंचने वाले स्थलों में से एक है। इस मंदिर में सन 2007 में 2 करोड़ पर्यटक पहुंचे जिनमें मुख्यतः घरेलू एवं अप्रवासी भारतीय रहे। तिरुपति में बहुत कम ही विदेशी पर्यटक आते हैं। इस केस स्टडी के लिए हमने 9 छोटे लड़कों से साक्षात्कार किया जिनकी उम्र 8 से लेकर 18 साल के बीच रही।

बच्चों ने बताया कि कुछ घरेलू पर्यटक उनके पास नियमित यौनवृत्ति (सेक्स) के लिए आते हैं। इनमें से कुछ पर्यटक जब अगली बार तिरुपति आते हैं तो उन्हीं बच्चों का चयन करते हैं। इसके लिए बच्चों से जगह और तारीख तय करने के लिए फोन या ईमेल (इसके लिए बच्चे साइबर कैफे का उपयोग करते हैं) के जरिये सम्पर्क किया जाता है। इन ग्राहकों की मध्यस्थता के लिए बीच में कोई दलाल नहीं होता है। यौन शोषण होने वाले बच्चों मे से कुछ बच्चे तो मात्र 6 से 10 साल के ही होते हैं। जो करीब 15 साल की उम्र तक मुख्यतः घरेलू पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों के लिए वेश्यावृत्ति में शामिल हो जाते हैं। ये यौन शोषण होटलों, लॉजों, वीरान निर्माण स्थलों, खेल के मैदानों, पार्कों, सिनेमा थियेटरों, रेलवे स्टेशनों, स्टेडियमों, कब्रिस्तान आदि में किए जाते हैं। घरेलू पर्यटक इसके लिए छोटे लॉजों और बार के

कमरों का इस्तेमाल करते हैं। ये बच्चे रुपये 500 से लेकर रुपये 2000 तक प्रतिदिन कमा लेते हैं। कुछ बच्चे छोटे होटलों में पार्ट टाइम काम करते हैं। लॉजों एवं होटलों में उनके साथ काम करने वाले वरिष्ठ लोगों द्वारा उनका यौन शोषण किया जाता है और इसके लिए उन्हें बहुत कम पैसा मिलता है। जबकि वे उन जगहों में काम करते रहते हैं क्योंकि इससे उनका सम्पर्क उन ग्राहकों से हो पाता है जो कि होटल में खाने–पीने एवं लड़कों के साथ सेक्स के लिए आते हैं। लड़को ने बताया कि पुरुष होने के नाते परिवार से उन पर कमा कर लाने का दबाव रहता है, इसलिए वे वेश्यावृत्ति का रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। वे महसूस करते हैं कि यह कई बार शर्मनाक होता है, लेकिन उनके पास सेक्स के व्यापार से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है। परिवार के सदस्य देखते हैं कि लड़कियों के मुकाबले लड़कों के सेक्स व्यापार में शामिल होने पर कम जोखिम होता है, क्योंकि इसमें सामाजिक कलंक कम लगता है और इसमें गर्भधारण का भी जोखिम नहीं होता है।

प्रकरण : पुरी (उड़ीसा)

पुरी 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। सन 2007 में पुरी में करीब 60 लाख घरेलू एवं करीब 42,000 विदेशी पर्यटक पहुंचे थे। हमने पुरी के पास पेंटाकोटा गांव की भी जांच–पड़ताल की जहां आंध्र प्रदेश से विस्थापित मछुआरे परिवार रहते हैं। उनकी आजीविका का साधन मछली पकड़ना है और वहां 6 साल से कम के बहुत सारे बच्चे हैं जो कि स्कूल नहीं जाते हैं। हमने 13 लड़कों से साक्षात्कार किया जिनमें से 8 पेंटाकोटा के और 5 पुरी के समुद्री तट के इलाके के थे। उनकी उम्र 6 साल से लेकर 18 साल के बीच थी और वे सभी यौन शोषण से प्रभावित थे।

घरेलू पर्यटकों के मुकाबले विदेशी पर्यटकों के साथ सम्बंध बनाना ज्यादा ''फायदेमंद'' होता है क्योंकि विदेशी पर्यटक उन्हें खिलौने, चॉकलेट, साइकिल, अच्छे कपड़े और कई बार तो उन्हें घर बनाने या मरम्मत के लिए पैसे भी देते हैं। ये यौन शोषण रेलवे स्टेशनों, होटलों, खाने–पीने की छोटी जगहों (ढाबों), लॉजों, समुद्र तट पर, मालिश केन्द्रों (मसाज पार्लर) एवं स्थानीय वेश्यावृत्ति के घरों में किए जाते हैं। इसके लिए ज्यादातर विदेशी पर्यटक होटलों का उपयोग करते हैं जबकि घरेलू पर्यटक छोटे लॉजों और बार के कमरों का उपयोग करते हैं। पुरी में बहुतायत में मसाज पार्लर और हेल्थ क्लब खुले हुए हैं जो कि विदेशी और घरेलू पर्यटकों की जरूरत पूरा करते हैं, जहां पर वयस्कों एवं बच्चों से (लड़के एवं लड़कियां दोनों ही शामिल होते हैं) वेश्यावृत्ति करायी जाती है। कुछ विदेशी पर्यटक झुग्गियों एवं गरीब बस्तियों के करीब वाले होटलों में ठहरते हैं। वे झुग्गियों में जाते हैं और गरीब परिवार उनके घरों में विदेशियों के पहुंचने पर आभार महसूस करते हैं। तब वे बच्चों को बाहर ले जाकर यौन शोषण करने लगते हैं, कई बार तो जबरदस्ती करते हैं। कई मामलों में तो बच्चे कुछ भी नहीं कहते क्योंकि वे डरे हुए रहते हैं। वे महसूस करते हैं कि यदि वे इनकार करते हैं तो वे अपने जीवन का मजा लूटने का अवसर खो देंगे। बच्चों ने बताया कि सेक्स के बदले उन्हें वो मिलता है जो वे चाहते हैं, जैसे कि अच्छे कपड़े, खाना, आस–पास नये जगहों पर जाना, फिल्म देखना, पैसा आदि मिलते है और कई बार तो उनके परिवार की जरूरतें भी पूरी होती हैं। ज्यादातर बच्चों ने कई सारे पर्यटकों के साथ सेक्स किया है, जिनमें से कुछ सिर्फ रुपये 50 देते हैं जबकि कुछ रुपये 200 तक दे देते हैं, और हर दिन भाव बदलता रहता है।

प्रकरण : गुरूवायुर (केरल)

गुरूवायुर श्री कृष्ण के मंदिर के लिए प्रसिद्ध हैं और घरेलू पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। सन 2006 में, करीब 10 लाख घरेलू पर्यटक एवं करीब 1500 विदेशी पर्यटक गुरूवायुर पहुंचे।

गुरूवायुर में बच्चों का यौन शोषण कम दिख पाता है। तिरुपति एवं पुरी की तरह यहां बच्चे सड़कों में घूमते हुए नहीं मिलते हैं। केरल में बालश्रम पर पाबंदी को सरकारी अधिकारियों द्वारा लागू किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप विभाग की जीप घूमती रहती है, और कोई भी बेघर बच्चा सड़क पर दिखता है तो उसे उठा लिया जाता है। इसलिए यहां बच्चों का यौन शोषण छिपे हुए और हल्के ढंग से होता है।

हालांकि आस–पास के गांवो के समुदाय सदस्यों, आंगनवाड़ी शिक्षकों एवं कार्यकर्ताओं से चर्चा करने पर यह बात उभर कर आई कि यहां लड़कों के साथ यौन शोषण आम बात है और वे वेश्यावृत्ति में लगे हुए हैं। यहां समलैंगिकता/बाइसेक्सुअल्टी का प्रचलन के बारे में काफी सुनने को मिलता है, और लगता है कि इसे सांस्कृतिक स्वीकृति मिली हुई है। पुराने दिनों में, पास के चावक्कड और पोन्नानी इलाकों में समुद्र के रास्ते से व्यापार आम बात थी। जब पुरूष कई दिनों तक समुद्र में जाते थे तो अंत में वे अपने साथ यौन सेवा के लिए बच्चों को ले जाते थे। मौजूदा परिस्थिति में, बहुत सारे पुरूष खाड़ी देशों में काम करते हैं और उनके द्वारा नगदी भेजा जाना स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जब वे लौटते हैं तो वे लड़कों के यौन शोषण में लग जाते हैं। महिलाओं के साथ बात करने पर पता चला कि वे इसलिए राहत महसूस करती हैं क्योंकि पुरूष विवाहेत्तर सम्बंधों में नहीं शामिल होते हैं या महिला वेश्याएं नहीं चाहते हैं। गुरूवायुर में, हालांकि कूनन पालक संस्थाओं ने लड़कों के यौन शोषण के बारे में सुना है लेकिन उन्होंने आस पास के क्षेत्र में मामला दर्ज होने या किसी शिकायत के बारे में नहीं सुना है। गुरूवायुर में किसी विदेशी के बच्चों के यौन उत्पीड़न में शामिल होने के बारे में हम कोई प्रमाण नहीं जुटा सके। समुदाय के सदस्यों के साथ चर्चा एवं उनके विचारों से लगता है कि जो पर्यटक इसमें लिप्त होते हैं वे मुख्य रूप से केरल के ही होते हैं।

इससे कैसे निपटा जा सकता है?

राज्य स्तर पर एवं केन्द्र स्तर पर सरकार को यह स्वीकार करना चाहिए कि पर्यटन में बच्चों का यौन शोषण होता है और यह एक गंभीर मुद्दा है।

कानूनी सन्दर्भ में, उपयुक्त कानून के अभाव में, एवं जागरूकता बढ़ाने और जानकारियों का विश्लेषण करने की व्यवस्था के अभाव के परिणामस्वरूप इस अपराध पर कानूनी कार्रवाई बहुत कम हो पाती है। प्रत्यर्पण कानून के तहत यह व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए कि विदेशी अपराधियों को कानून के दायरे में लाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी विदेशी अपराध करके आसानी से देश से बाहर न जा सके।

राष्ट्रीय एवं राज्य की पर्यटन नीतियों द्वारा बच्चों के शोषण में पर्यटन की भूमिका को स्वीकार करना चाहिए, बच्चों के यौन शोषण की खुलेआम निन्दा करनी चाहिए, और यह प्रतिबद्धता जाहिर करना चाहिए कि पर्यटन गंतव्य बच्चों के यौन शोषण से मुक्त क्षेत्र होंगे।

पर्यटन मंत्रालय द्वारा उद्योग, टूर ऑपरेटरों, ट्रवेल एजेंटों, होटलों, स्थानीय प्राधिकारों, न्यायपालिका, पुलिस, बच्चों के अधिकार से सम्बन्धित व अन्य नागरिक समाज संगठनों एवं समुदायों जैसे समस्त पक्षों को शामिल करते हुए बच्चों को यौन शोषण से रक्षा करने एवं उसे मिटाने के लिए ''पर्यटन में बच्चों के यौन शोषण को रोकने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना'' तैयार करना चाहिए। केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर पर्यटन विभाग को अपने वार्षिक रिपोर्ट में पर्यटन में बच्चों के सेक्स की घटनाओं, उसे समाप्त करने के लिए किए गए प्रयासों, और भारत को बच्चों के यौन शोषण से मुक्त पर्यटन गंतव्य बनाने की प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए।

बच्चियों के विकास से सम्बन्धित मंत्रालय को चाहिए कि वह ऐसा व्यापक कानून बनाए जिसमें बच्चों का यौन शोषण एवं उनके साथ दुर्व्यवहार करने को गंभीर अपराध माना जाय और इसके अपराधियों के लिए कठोर सजा का प्रावधान हो। नीति में स्पस्ट रूप से 'बच्चों' को स्वीकार किया जाने का मतलब सिर्फ लड़कियां ही नहीं होती; बल्कि लड़कों पर भी बराबर जोखिम होता है और उनका भी यौन शोषण होता है।

पर्यटन उद्योग को चाहिए कि पर्यटन के बैनर तले इस शर्मनाक गतिविधि जारी रहने के बारे में वह अपनी सामूहिक जिम्मेदारी स्वीकार करे। उद्योग संघों को सक्रिय एवं स्पष्ट रूप से विभिन्न पक्षों के साथ मिलकर इस बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने को प्रोत्साहित करने एवं इसे समाप्त करने के लिए काम करना चाहिए।

यह समय ठोस एवं निर्णायक कार्रवाई करने का है। अभी और कितने बच्चों का जीवन नष्ट किया जाएगा?

इक्वेशंस (इक्विटेबल टूरिज्म आप्शंस)
न. 415, 2–सी क्रॉस, 4था मेन
ओएमबीआर लेआउट
बनासवाड़ी, बंगलोर – 560043, भारत
फोन : +91–80–25457607 / 25457659
फैक्स : +91–80–25457665
ईमेल : info@equitabletourism.org
www.equitabletourism.org

इसीपीएटी इंटरनेशनल
328 / 1, फाया थाई रोड
बैंकाक – 10400, थाइलैंड
फोन : + 66 (0) 2 215 3388
फैक्स : + 66 (0) 2 215 8272
ईमेल : info@ecpat.net
http://www.ecpat.net

कृपया पूरी रिपोर्ट के लिए इक्वेशंस या इसीपीएटी इंटरनेशनल को लिखें (पूर्ण रिपोर्ट – 82 पेज, मार्च 2009)

यदि आप पर्यटन का बच्चों पर पड़ने वाले असरों के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमें info@equitabletourism.org पर या info@ecpat.net पर लिखें।